

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2011— आश्विन 15, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्र. बी-4-16-2011-2-पांच (30).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 10, 74 तथा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

(1) नियम 29 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"29. अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कर्तव्य.— अनुज्ञप्त विक्रेता जनता को ऐसे स्टाम्पों का विक्रय ऐसे स्थानों पर करेंगे, जो कि उनकी अनुज्ञप्ति में उपदर्शित किए गए हों। वे किसी अंकित मूल्य के तथा किसी संकलित मूल्य के स्टाम्पों का, क्रय करने के लिए आए व्यक्ति की, उसके मतदाता पहचान पत्र या आयकर के स्थायी खाता क्रमांक या ड्रायविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या बैंक खाते की फामथुक की प्रति में पहचान करने के परन्तु, विक्रय कर सकेंगे."

(2) परिशिष्ट तीन में, प्ररूप घ में,—

(एक) कॉलम (3) में, शब्द "स्टाम्पों का विवरण" के स्थान पर, शब्द "स्टाम्पों पर मुद्रित क्रमांक को सम्मिलित करने हुए स्टाम्पों का विवरण" स्थापित किया जाए; और

(दो) कॉलम (9) में, शब्द "क्रेता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान" के स्थान पर, शब्द "क्रेता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान तथा उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान के प्रमाण का क्रमांक और उसे जारी करने वाले प्राधिकारी/कार्यालय के ब्यौरे" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्र. बी-4-16-2011-2-पांच (30).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक बी-4-16-2011-2-पांच (30), दिनांक 7 अक्टूबर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th October 2011

No.F-B-4-16-2011-2-V-(30).—In exercise of the powers conferred by Section 10, 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1923, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) for rule 29, the following rule shall be substituted, namely:—

"29. Duties of licensed vendors.—Licensed vendors shall sell to the public such stamps and at such places as are indicated in their licences. they may sell stamps of any denomination and of any aggregate value after identification of the person who has come to purchase the stamps from a copy of his voter Identity Card or Income Tax PAN or Driving Licence or Passport or Bank Account Pass Book."

(2) In the Appendix III in form D.—

(i) In column (3), for the words "Description of Stamps", the words "Description of Stamps including the number printed on Stamps" shall be substituted; and

(ii) in column (9), for the words "signature or thumb impression of the purchaser", the words "Signature or thumb impression of the purchaser and the number and the proof of identity produced by him and the details of the issuing authority/office" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
R. K. YADAV, Addl. Secy.